

कार्यालय:- प्रधान जिला न्यायाधीश, हरदा जिला हरदा (म0प्र0)

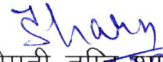
जावक क्रमांक / ५५ / दो-11-2 / 2005

हरदा दिनांक 29.07.2025

-: परिपत्र :-

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कर्मचारीगण अपने अवकाश आवेदनो को पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से अग्रेसित कराए बिना कार्यालय में प्रस्तुत कर अवकाश पर प्रस्थान करते हैं। अवकाश स्वीकृत कराए बिना और पीठासीन/प्रभारी के अनुमति प्राप्त किए बिना अवकाश पर प्रस्थान किया जाना सर्वथा अनुचित है। भविष्य में ऐसी कार्यशैली संज्ञान में आने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया है कि पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारीगण द्वारा कुछ अवकाश आवेदनो पर अपनी असहमती होने पर स्पष्ट टीप अंकित किए बिना मौखिक रूप से आवेदन वापस कर दिए जाते हैं। अतः सभी पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारीगण से यह अपेक्षा है कि अवकाश आवेदनो की अनुशंसा न होने की स्थिति में भी अपनी स्पष्ट टीप अंकित किए बिना मौखिक रूप से अवकाश आवेदन को लेने से इंकार नहीं करेंगे।


(श्रीमती तृप्ति शर्मा)
प्रधान जिला न्यायाधीश हरदा
जिला हरदा म0प्र0

पृ0क्रमांक 1213 / दो-11-2 / 2005 (भाग-2)
प्रतिलिपि:-

हरदा, दिनांक 30 / 07 / 2025

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा की ओर पालनार्थ प्रेषित।
2. कोर्ट मैनेजर/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
3. समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को ई-मेल के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

o/c

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)